मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

क्रमांक /एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.2/2018/3959-83 भोपाल दिनांक 31/10/18

प्रति,

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र.
2. द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा म. प्र.

विषयः एम. बी. बी. एस. कोर्स पश्चात परमानेंट पंजीयन ।

संदर्भः लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.–25 दिनांक 24–1–2017 में शामिल **सेवा क्रमांक 25.2** के संबंध में निर्देश ।

1. **सेवा का उद्देश्यः–** प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. कोर्स तथा इन्टर्नशीप पूर्ण करने के उपरांत प्रोविजनल से परमानेंट पंजीयन करना ।
2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमाः–** रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल, 30 कार्य दिवस
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–** आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्ते :–**

   (i) आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेज से मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त एम. बी. बी. एस. कोर्स उत्तीर्ण किया हो,

   (ii) एम. बी. बी. एस. कोर्स उपरांत इन्टर्नशीप पूर्ण कर ली हो,

   (iii) आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से प्रोविजनल पंजीयन करा लिया गया हो ।

5. **आवश्यक दस्तावेज :– (संस्था प्रमुख अधिष्ठाता/ प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित)**

   (i) जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची की छायाप्रति,

   (ii) कक्षा 12 वी. की अंकसूची की छायाप्रति,

   (iii) एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–1 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूची की छायाप्रति,

   (iv) एम.बी.बी.एस. फायनल पार्ट–2 परीक्षा उत्तीर्ण की समस्त अंकसूची की छायाप्रति,

   (v) इन्टर्नशीप पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति,

   (vi) प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति,

   (vii) एम.बी.बी.एस. उपाधि की छायाप्रति (यदि विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई हो तो),

   (viii) डिक्लेरेशन फार्म की हस्ताक्षरित प्रति, (अपेंडिक्स "ए" अनुसार)

   यदि आवेदन पत्र इंटर्नशीप पूर्ण करने के 01 वर्ष बाद प्रस्तुत किया जा रहा हो तो –

   (ix) नोटराईज्ड शपथ पत्र (अपेंडिक्स "बी" अनुसार)

(x) उक्त विलंबित अवधि में यदि चिकित्सा छात्र द्वारा कोई अध्ययन/चिकित्सा कार्य किया हो तो संबंधित संस्था प्रमुख का गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट

(बिन्दु क्रमांक (ix) एवं (x) अभिलेख मूलतः कौंसिल में प्रस्तुत करना होंगे ।

(xi) अन्य अभिलेख, यदि आवश्यक हो ।

6. पदाभिहित अधिकारी द्वारा एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 अनुसार आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कंडिका –5 में दर्शाए गए दस्तावेजों सहित आवेदक द्वारा पदाभिहित अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) निर्धारित प्रारूप में दी जावेगी ।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा ।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर एवं ईमेल एड्रेस भी भरा जावेगा ।

6.5 आवेदन करते समय यदि आवेदक का आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस /OTP से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक /पहचान संबंधी) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी ।

6.6 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम –16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा । एक ही आवेदन का पृथक–पृथक पंजियों में इन्द्राज की आवश्यक नहीं होगा ।

6.7 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन कर निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

6.8 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को उसके भरे गये मोबाइल नम्बर पर एस. एम. एस. के माध्यम से दी जावेगी ।

7. लोक सेवा केन्द्र / कियोस्क में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

7.1 आवेदन साफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा । दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस सेवा केन्द्र /कियोस्क के आपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा ।

7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का स्वयं का मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, एवं ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिया जावे ।

7.3 ऑनलाइन आवेदन करते समय कियोस्क पर आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाईस से (e-KYC) द्वारा अपनी पुष्टि करता है तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज (जन्म दिनांक एवं पहचान संबंधी) की हार्डकॉपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी । पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में निराकरण की समय–सीमा साफ्टवेयर द्वारा तैयार पावती पर अंकित होगी ।

7.5 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित संस्था (जिस कालेज से विद्यार्थी ने कोर्स किया है) के जी2जी पर प्राप्त होगा, जहां से परीक्षण /सत्यापन उपरांत पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑन लाईन उपलब्ध हागा ।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका–8 में बताई गई प्रकिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और समय–सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी ।

7.7 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा । इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट /पोर्टल पर संधारित की जायेगी । यह कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा के अंदर ही संपादित की जाएगी ।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रकिया –

8.1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाईन आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, कियोस्क एवं लोक सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत कर सकेगा ।

8.2 एम. पी. ऑनलाईन पर आवेदन कंडिका –6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कंडिका –7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे ।

8.3 आवेदन सर्वप्रथम संस्था (जिस कालेज से विद्यार्थी ने कोर्स किया है) वहां प्राप्त होगा, संबंधित संस्था द्वारा अधिकतम 05 कार्य दिवस में चिकित्सा छात्र का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं अपलोड किए गए दस्तावेजो परीक्षण/सत्यापन कर आवेदन रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल को प्रेषित करेंगे ।

8.4 परिषद कार्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण संबंधी कार्यवाही अधिकतम 10 कार्य दिवस में पूर्ण की जायेगी ।

8.5 ऑनलाईन आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्रता के अनुरूप पाए जाने की स्थिति में 15 कार्यदिवस में कार्यवाही पूर्ण की जाकर, आवेदक का डिजिटल हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किया जाएगा ।

8.6 यदि आवेदक दस्तावेज परीक्षण उपरांत प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने के आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा ।

8.7 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन /सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट / पोर्टल पर संधारित की जायेगी ।

9. शुल्क –

9.1 मध्य प्रदेश राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण एम. बी. बी. एस. कोर्स पश्चात परमानेंट पंजीयन हेतु अप्रतिदेय (non refundable) पंजीयन शुल्क निम्नानुसार है :–

(i) पंजीयन शुल्क रू. 5000.00

(ii) विलंब शुल्क – संलग्न परिशिष्ट 'सी' अनुसार

9.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाइन पोर्टल शुल्क रूपये 50/– का भुगतान करना होगा ।

10. अपील –
आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :–

(1) आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–

सेवा क्र.	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
25.2	एम. बी. बी. एस. कोर्स पश्चात परमानेंट पंजीयन	आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं पदेन अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव / सचिव चिकित्सा शिक्षा

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रमांक एमपीएमसी/उप.पंजी./लोसेप्र/25.2/2018/3959-83 भोपाल दिनांक 31/10/18

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
3. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कार्पोरेट पार्क , अरेरा हिल्स, एम पी नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
5. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

परिशिष्ट 'ए'

DECLARATION

At the time of registration, each applicant shall be given a copy of the following declaration by the Registrar concerned and the applicant shall read and agree to abide by the same:

a. I solemnly pledge myself to consecrate my life to service of humanity.
b. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of Humanity.
c. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception.
d. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.
e. I will practice my profession with conscience and dignity.
f. The health of my patient will be my first consideration.
g. I will respect the secrets which are confined in me.
h. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.
i. I will maintain by all means in my power, the honour and noble traditions of medical profession.
j. I will treat my colleagues with all respect and dignity.
k. I shall abide by the code of medical ethics as enunciated in the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations 2002.

I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Place ....
Date ....

Signature ....
Name ....
Address ....
....

परिशिष्ट 'बी'

AFFIDAVIT

I, Dr. ____________________ S/o Shri ________________ R/o ______________ do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I was a student of MBBS at ________ Medical College from ________ to ________
2. That I have completed my internship training on ________________
3. That I could not get myself registered with M. P. Medical Council due to ____
   (Specific reason for the delay must be spelt out by the candidate)
4. That I have not done any unethical practice after completion of my internship training. However, if any complaints made against me for unethical practice during this period, I will be responsible for the same.
5. That all the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge.

Deponent

Verification

Verified __________ of this ___________ day of __________ that the content of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Deponent

परिशिष्ट 'सी'

Permanent Registration (Pass out from Medical **College of Madhya Pradesh** & registered provisionally from M. P. Medical Council)

1	Fee	Rs. 5,000.00
2	Late Fee – Period laps between the date of completion of Internship and submission of application for Permanent Registration-	
	Upto 03 months	Nil
	03 to 06 months	Rs. 2,000.00
	06 to 12 months	Rs. 5,000.00
	Above 12 months	Rs. 10,000.00
3	Fee of Condonation of Delay in Permanent Registration (i) in case of delay in submission of application form for permanent registration after expiry of one year from the date of completion of internship (ii) In addition to Fee & Late Fee	Rs. 10,000.00